

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखपुर औद्योगिक क्षेत्र अजमेर
305002



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhapura Industrial Area,
Ajmer- 305002

Ph-145-2695165 / 2695476 Fax-
2695202

दिनांक : 25-11-2024

ई-मेल : ro.ajmer@ibm.gov.in

संख्या : E3643 MCDR-MiFLOLST/1/2023-AJM-IBM_RO_AJM

प्रेषिति : खान मालिक,

मेसर्स महाराजा इंटरनेशनल,
यूनिट ऑफ पवन सिमेंट लिमिटेड,
सेल्स टैक्स चैक पोस्ट के पास,

हाईवे न. 27 पोस्ट अमीरगढ, बनावसकांटा (गुंजरात) - 385130 Email: cement.acl@gmail.com;

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Watera (54/11) Limestone Mine over an area 4.7121 Ha.in Sirohi district of Rajasthan State.
महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection carried out by Shri Ajay Kumar Jatolia, AME on 14/10/2024 in presence of Mine Officials.

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review of Mining Plan (Approved on 30/01/2023): - <ul style="list-style-type: none">➤ No exploration boreholes have been carried against the proposals of 07 Core boreholes with meterage of 350m.➤ Nil quantity of ROM production has been produced during the year 2023-24 against the proposal of 80000.00tonnes quantity of ROM.➤ Nil quantity of Topsoil has been produced during the year 2023-24 against the proposal of 6000Cum quantity of Topsoil.➤ 283 m proposed fencing during the year 2023-24 has not been done.➤ No plantation has been planted against the proposal of 100 Nos of Plants.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अन्तर्गत:

(क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टा खंडन की अनुसंशा की जा सकती है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघन का अतीशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

Signed by Chandresh Bohr

Date: 27-11-2024 15:45:24

क्षेत्रीय खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपी सूचनार्थ :

1. खान नियंत्रक (उ.आ.) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, शास्त्री सर्किल, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सिरौही।

जारी किया

27/11/24